बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक –ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ .... पटना, दिनांक– ....

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :– **राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में सतरंगी चादर बनाने के लिए 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं अनुदानित राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति के संबध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों को हस्तकरघा प्रक्षेत्र में सतरंगी चादर बनाने के लिए अनुदानित दर पर 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद से 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति तथा इस वित्तीय वर्ष में अनुदानित राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है। यह एक नई योजना है।

2. सतरंगी चादर राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना से संबद्ध क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ एवं उनके अधीनस्थ प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के बुनकरों को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा लक्ष्यानुसार सतरंगी चादर आपूर्ति आदेश सुलभ ढंग से दिया जा सकेगा। वैसे बुनकर जिनके पास 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) नहीं है एवं टूटा–फूटा हुआ पुराने पिटलूम पर किसी तरह जोड़–तोड़कर बुनाई का कार्य कर रहे है, को प्राथमिकता के आधार पर 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए समानुपातिक एवं पारदर्शी ढंग से चयन कर बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा वित्तीय नियमावली के अनुरूप क्रय कर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना टेंडर के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) का क्रय करेगी एवं समय–समय पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना से प्राप्त होने वाले सतरंगी चादर आपूर्ति आदेश के अनुरूप आपूर्ति करेगी। इस योजना का लाभ वैसे पात्र बुनकर को ही दिया जाएगा जिन्हें पूर्व में ऐसी सहायता प्राप्त न हो।

3. 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) का फ्रेम एवं अन्य प्रयुक्त लकड़ी सखुआ का होगा जबकि स्ले बोर्ड सागवान का होगा। योजना का भौतिक एवं वित्तीय स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	लूम के प्रकार	लूम की सं0	कुल राशि	10% लाभुक अंशदान	राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि (90%)
1	68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन के साथ)	500	1,50,00,000	15,00,000	1,35,00,000
	कुल	500	1,50,00,000	15,00,000	1,35,00,000

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) अनुदानित दर पर दी जाने वाली कुल राशि का 90% अनुदान राशि के रूप में कुल 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) रूपये मात्र वहन किया जायेगा। शेष 10% राशि अर्थात् 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये लाभुक का अंशदान होगा।

5. कुल अनुदानित राशि 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) रूपये मात्र में से वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम किस्त के रूप में अनुदानित राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये व्यय किया जायेगा।

6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में में द्वितीय किस्त की अनुदानित राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये एवं तृतीय किस्त की राशि 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये व्यय किया जायेगा।

करघा अधिष्ठापन की स्थल जाँच संबंधित जिला के महाप्रबंधक द्वारा किये जाने के उपरान्त द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी। इसी प्रकार करघा पर चादर उत्पादन होने के उपरान्त संबंधित जिला के महाप्रबंधक द्वारा स्थल जाँच के उपरान्त तृतीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।

7. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। विभाग द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निदेश का अक्षरशः अनुपालन बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. योजना क्रियान्वयन के लिए निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।

9. विषयांकित योजना के कार्यान्वयन पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना होंगे जो व्यय प्रमाणक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना को समर्पित

करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना व्यय प्रमाणक से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे। बुनकरों के बीच फ्रेम लूम वितरण संबंधी कार्य–कलापों का संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन की पूर्ण जवाबदेही प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना की होगी। करघा वितरणोपरान्त उसकी जाँच संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा तथा सत्यापन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजना में स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष– 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 103 हथकरघा उद्योग, माँग संख्या–23, उपशीर्ष– 0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–P2851001030103, विषय शीर्ष– 5201 मशीन एवं उपस्कर मद से विकलित होगा।

11. राज्य योजना स्कीम कोड IND 5438 है।

12. स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदानित राशि 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एक मुश्त राशि प्रपत्र BTC-46 पर करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PLA 277 में जमा करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के निदेशानुसार राशि व्यय करेंगे।

13. योजना का लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना की होगी जो वित्त विभाग के पत्र सं0 को प्र0 विविध–06/2015–8599 दि0 01.10.2015 एवं 7280 दि0 14.09.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017 के पृष्ठ 06/टि0 पर दिनांक 29.03.2017 को प्राप्त है।

15. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017 के पृष्ठ 07/टि0 पर दिनांक 29.03.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जिसकी डायरी संख्या 58/OSD दिनांक 29.03.2017 है।

16. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ .... पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ .... पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ .... पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/अपर निदेशक (तक0), हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा– 1(स0), उद्योग विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0– (यो0/अनुदानित दर पर लूम)–02/2017/ 1340 पटना, दिनांक– 29-03-17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।